

श्रीमती केशरी देवी लोहिया राजकीय कन्या महाविद्यालय,
रतनगढ़ (चूरु)



विवरणिका

PROSPECTUS

2021-22



प्राचार्य

श्री विष्णु कुमार शर्मा

विवरणिका प्रकाशन समिति

प्रधान संपादक/मार्गदर्शक :- श्री खिलेश कुमार (सहायक आचार्य—अंग्रेजी)

Phone No. 01567-223100, Fax No. 01567-223100

email: girlscollegeratangarh@gmail.com

प्राचार्य संदेश



प्रिय छात्राओं

नवीन शैक्षणिक सत्र में वाग्देवी सरस्वती के इस प्रांगण में आपका स्वागत है। मनुष्य के लिये उन्नति का मूल मंत्र है उद्यम, संयम, दक्षता, सावधानी, धैर्य, स्मृति, मौन तथा सोच विचार कर कार्य करना। ज्ञानवान, विनयशील, अनुशासित और कौशल संपन्न विद्यार्थी प्रगति की सीढ़ी के सोपान सुगमता से पार करने के साथ-साथ दूसरों के लिये अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करते हैं किसी भी संस्था का गौरव ऐसे विद्यार्थियों से बढ़ता है मेरी शुभ कामना है कि व्यक्तित्व निर्माण एवं जीवन जीने की कला के इस केंद्र में आप उन्नत अवस्था को प्राप्त कर महाविद्यालय की गरिमा में अभिवृद्धि करेंगी।

शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिये यथार्थता का ज्ञान। भ्रांतियों, विकृतियों और कुरीतियों के बंधन से छुटकारा पाकर स्वतंत्र चिंतन की क्षमता प्राप्त करना। अनुशासन, परिश्रम, ज्ञान पिपासा, सतत प्रयास सफलता के मूल मंत्र हैं मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप अपनी शक्ति का सर्जनात्मक एवं रचनात्मक उपयोग करें एवं व्यावहारिक ज्ञान प्राप्ति हेतु अध्ययन के साथ-साथ महाविद्यालय में संचालित सह-शैक्षणिक गतिविधियों में भी उत्साहपूर्वक भाग लें। आपकी अध्ययनशीलता, अनुशासनप्रियता, लक्ष्य के प्रति समर्पण अवश्य ही इस महाविद्यालय को शैक्षिक ऊंचाईयों की ओर ले जायेगी।

आप महाविद्यालय के अनुभवी व विद्वान संकाय सदस्यों के ज्ञान एवं विद्वता का लाभ उठाकर समर्पित भाव से नैतिक मूल्यों की आधार शिला पर ज्ञान अर्जित कर जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें और देश की सच्ची कर्णधार बनें, ऐसी मेरी आपसे अपेक्षा है।

शुभकामनाओं सहित

(श्री विष्णु कुमार शर्मा)

प्राचार्य

श्रीमती केशरी देवी लोहिया
राजकीय कन्या महाविद्यालय,
रतनगढ़ (चूरु)

श्रीमती केशरी देवी लोहिया राजकीय कन्या महाविद्यालय, रतनगढ़ (चूरु)

महाविद्यालय का परिचय

राजस्थान के मरुक्षेत्र में स्थित चूरु जिले का रतनगढ़ कस्बा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 (आगरा-बीकानेर) तथा राज्य राजमार्ग संख्या 7 (किशनगढ़-हनुमानगढ़) एवं बीकानेर-दिल्ली ब्रोडगेज रेलवे लाइन पर स्थित है। चूरु जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर पश्चिम में तथा मरुनगरी बीकानेर से 135 कि.मी. पूर्व में अवस्थित यह कस्बा चूरु जिले की छः तहसील व उपखण्ड मुख्यालयों में से एक है।

स्थानीय सेठ श्री नवरंगराय लोहिया की धर्मपत्नी श्रीमती केशरीदेवी लोहिया की दृढ़ मान्यता थी कि छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा की समुचित व्यवस्था किए बिना महिला सशक्तिकरण की बात करना अर्थहीन है। रतनगढ़ में छात्राओं हेतु उच्च अध्ययन की पृथक संस्था की स्थापना की श्रीमती लोहिया की इस मंशा को साकार स्वरूप प्रदान करने हेतु श्री नवरंगराय लोहिया ने शुरुआती तीन वर्षों में महाविद्यालय संचालन पर होने वाले व्यय की भरपाई करने की राज्य सरकार की शर्त के अनुरूप तीस लाख रुपये की राशि सरकारी कोष में जमा करवाने की पहल की तथा इसके साथ ही महाविद्यालय भवन का निर्माण करवाकर राज्य सरकार को सुपुर्द करने के गुरुतर दायित्व को सहर्ष स्वीकार किया। रतनगढ़ में राजकीय कन्या महाविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करने में लोहिया दम्पति के योगदान के लिए उन्हें शत-शत नमन।

जुलाई 1997 में स्थापित इस राजकीय कन्या महाविद्यालय की शुरुआत सिर्फ 53 छात्राओं के नामांकन के साथ हुई। शुरुआती सत्र 1997-98 में महाविद्यालय का संचालन भुवालका कोठी में हुआ। रतनगढ़-चूरु रोड़ पर गौशाला के समीप महाविद्यालय भवन का शिलान्यास 17 फरवरी 1997 को श्री नवरंगराय लोहिया-श्रीमती केशरी देवी लोहिया दम्पति के पुत्र श्री पवन कुमार लोहिया तथा पुत्रवधु श्रीमती स्मृति लोहिया ने किया। भवन निर्माण कार्य द्रुत गति से सम्पन्न किया गया। महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन का औपचारिक लोकार्पण तथा उद्घाटन 02 अप्रैल 1998 को श्री हरिशंकर भाभड़ा, तत्कालीन उपमुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, के करकमलों से सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर आयोजित भव्य समारोह की अध्यक्षता उच्च कोटि के अर्थशास्त्री श्री विजयशंकर व्यास, विश्व बैंक के पूर्व वरिष्ठ सलाहकार, ने की। इस प्रकार सत्र 1998-99 से यह महाविद्यालय नव निर्मित भवन में स्थानान्तरित कर दिया गया।

रतनगढ़ में इस राजकीय कन्या महाविद्यालय की स्थापना की परिकल्पना को मूर्त रूप प्रदान करवाने में प्रेरक की प्रभावी भूमिका का निर्वहन स्थानीय समाजसेवी व शिक्षाविद् श्री चम्पालाल उपाध्याय ने किया।

प्रारम्भ में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर तथा तत्पश्चात् महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर से सम्बद्ध इस स्नातक स्तरीय महाविद्यालय में प्रारम्भिक सत्र से कला संकाय के अन्तर्गत चार ऐच्छिक विषय-गृह विज्ञान, राजनीति विज्ञान, हिन्दी साहित्य एवं संस्कृत - स्वीकृत किए गए। सत्र 2002-03 में कला संकाय में अंग्रेजी साहित्य की अतिरिक्त ऐच्छिक विषय के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई। इस तरह वर्तमान में इस महाविद्यालय में पाँच ऐच्छिक विषय स्वीकृत हैं। स्थानीय एवं आस-पास के ग्रामीण इलाके की छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा का सोपान पार करने की दिशा में यह महाविद्यालय वरदान साबित हो रहा है। विगत सत्रों से प्रवेशित छात्राओं की संख्या में उतरोत्तर वृद्धि हो रही है।

प्रवेशार्थियों हेतु आवश्यक निर्देश

1. बी.ए. भाग प्रथम व स्नाकोत्तर पूर्वाद्ध में ऑन लाइन प्रवेश होगा।
2. निर्धारित तिथि तक प्रवेश पा चुकी छात्राएँ शुल्क अवश्य जमा करवा दें।
3. विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन-पत्र स्वीकार करने की प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा समाप्त कर दी गई।
4. अपूर्ण आवेदन पत्र पर प्रवेश हेतु विचार नहीं किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन-पत्र से अभिप्राय है:
 - (क) अधूरा भरा हुआ आवेदन पत्र या
 - (ख) आवश्यक प्रमाण-पत्रों एवं अंकतालिकाओं रहित आवेदन पत्र या
 - (ग) फोटो रहित आवेदन पत्र
5. आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रलेख लगाने अनिवार्य है:-
 - (1) विगत उत्तीर्ण परीक्षा की दो सत्यापित अंकतालिकाएं।
 संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची (प्रवेशनीति/विवरणिका के अनुसार स्वयं द्वारा/राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित)

क्र.स.	प्रमाण पत्र	किन परिस्थितियों में संलग्न किया जाना है?
1.	सैकण्डरी परीक्षा की अंकतालिका	नवीन प्रवेश हेतु
2.	सैकण्डरी परीक्षा का प्रमाण पत्र	नवीन प्रवेश हेतु
3.	स्थानान्तरण प्रमाण पत्र	अन्य संस्थान से स्थानांतरण की स्थिति में
4.	चरित्र प्रमाण पत्र	अन्य संस्थान से स्थानांतरण की स्थिति में
5.	अर्हकारी परीक्षा की अंकतालिका	सभी कक्षाओं में प्रवेश हेतु
6.	SC/OBC/SBC/Saharia प्रमाण पत्र	इनमें से किसी श्रेणी का लाभ प्राप्त करने हेतु
7.	विकलांगता प्रमाण पत्र	इस श्रेणी का लाभ प्राप्त करने हेतु
8.	कश्मीरी विस्थापित प्रमाण पत्र	इस श्रेणी का लाभ प्राप्त करने हेतु
9.	बी.पी.एल प्रमाण पत्र	शुल्क की रियायत प्राप्त करने हेतु
10.	आय प्रमाण पत्र/आय उद्घोषणा पत्र	शुल्क की रियायत प्राप्त करने हेतु
11.	सेवारत अभ्यर्थियों का नियोक्ता द्वारा प्रदत्त अनापति प्रमाण पत्र	सेवारत अभ्यर्थियों हेतु
12.	बोनस अंक संबंधी प्रमाण पत्र (एनएसएस, एनसीसी स्काउट/गाइड, रोवर/रेंजर, स्पोर्ट्स, सहषैक्षणिक गतिविधियाँ, शिक्षक अभ्यर्थी, मृत राज्य कर्मचारी के पुत्र/पुत्री, प्रतिरक्षा सेवा/केन्द्रीय सषस्त्र बल आदि।	बोनस अंक प्राप्त करने हेतु
13.	शपथ पत्र	अन्तराल या गैप वाले विद्यार्थियों के लिए
14.	मूल निवास प्रमाण पत्र (छाया प्रति)	राजस्थान के निवासी राजस्थान राज्य के अलावा अन्य किसी स्थान से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण की हो
15.	पास पोर्ट साइज रंगीन फोटो	प्रवेश व छात्रवृत्ति हेतु
16.	बैंक खाता संख्या, मोबाइल नम्बर व आधार नम्बर	छात्रवृत्ति हेतु

6. जिन विद्यार्थियों का अन्तरिम प्रवेशसूची में नाम आ जाता है वे निर्धारित तिथि तक अपना प्रवेश शुल्क महाविद्यालय द्वारा निर्धारित उचित प्रक्रिया के माध्यम से जमा करवा दें अन्यथा उनका प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा और रिक्त स्थान पर योग्यता क्रम में अन्य अभ्यर्थी को प्रवेश दे दिया जायेगा।
7. निम्नलिखित कारणों से प्रवेश दे दिये जाने पर भी विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त किया जा सकता है:-
 - (क) कार्यालय की भूल से अयोग्य/अपात्र होते हुए भी प्रवेश दिये जाने पर,
 - (ख) महाविद्यालय में अनुशासनहीनता के कारण दण्डित किये जाने पर,
 - (ग) परीक्षा में अनुचित साधन अपनाने वाले को,
 - (घ) अन्य कारणों से जिसकी सूचना विद्यार्थी को दे दी जायेगी।
8. जिस छात्रा के विरुद्ध पुलिस अथवा न्यायालय में मामला दर्ज हो, उसे महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा।
9. जिस छात्रा ने महाविद्यालय परिवार के किसी सदस्य के साथ दुर्व्यवहार किया है उसे प्रवेश से वंचित किया जा सकेगा।
10. सभी नये प्रवेश पूर्णतः अस्थायी (Provisional) होंगे। विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन (Enrolment) कर देने के पश्चात् ही विद्यार्थी का प्रवेश नियमित एवं स्थाई माना जायेगा।
11. महाविद्यालय में प्रवेश मिल जाने के बाद यदि किसी विद्यार्थी का आचरण आपत्तिजनक पाया गया, उसने प्रवेश आवेदन पत्र में कोई असत्य सूचना दर्शायी, महाविद्यालय के नियमों का उल्लंघन किया, अपने पिता/संरक्षक के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर कराये अथवा स्वयं हस्ताक्षर किये, तो उसका प्रवेश तुरन्त रद्द कर दिया जायेगा।

उपलब्ध पाठ्यक्रम (स्नातक स्तर)

महाविद्यालय में कला संकाय में स्नातक स्तर पर त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम संचालित है।

(1) बी.ए. पार्ट प्रथम—

- अनिवार्य : 1. सामान्य हिन्दी
2. सामान्य अंग्रेजी
3. प्रारंभिक कम्प्यूटर अनुप्रयोग
4. पर्यावरण अध्ययन

ऐच्छिक विषय: (कोई तीन, किंतु उपलब्ध संयोजन के अनुरूप)

1. हिन्दी साहित्य
2. संस्कृत साहित्य अथवा अंग्रेजी साहित्य
3. राजनीति विज्ञान
4. गृह विज्ञान

नोट: विषय संयोजन वरीयता क्रम से आवंटित किये जाते हैं। विद्यार्थी द्वारा इच्छित वैकल्पिक विषयों में स्थान उपलब्ध न हो तो महाविद्यालय द्वारा आवंटित विषय स्वीकृत करना होगा।

(2) महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम, स्वीकृत वर्गों/स्थानों व विषय संयोजन संबंधी विवरण

पाठ्यक्रम	गत वर्ष तक आवंटित सेक्शन की संख्या	कुल स्थान
बी.ए.	04	400

ऐच्छिक विषय	सेक्शन की संख्या	उपलब्ध स्थान
हिन्दी साहित्य	04	400
गृह विज्ञान	03	300
राजनीति विज्ञान	03	300
संस्कृत	01	100
अंग्रेजी साहित्य	01	100

(3) विषय संयोजन

- i हिन्दी साहित्य गृह विज्ञान राजनीति विज्ञान
ii हिन्दी साहित्य गृह विज्ञान संस्कृत
iii हिन्दी साहित्य गृह विज्ञान अंग्रेजी
iv हिन्दी साहित्य राजनीति विज्ञान अंग्रेजी
v हिन्दी साहित्य राजनीति विज्ञान संस्कृत

(4) विषय संयोजन की परिसीमा :-

(अ) महाविद्यालय में सीमित ऐच्छिक विषय स्वीकृत होने के कारण सभी प्रवेशार्थियों को हिन्दी साहित्य का चयन आवश्यक रूप से करना होगा।

(ब) संस्कृत और अंग्रेजी में से एक विषय का चयन करें।

(5) विषय समूह के आधार पर सेक्शन का गठन

- A. हिन्दी साहित्य गृह विज्ञान राजनीति विज्ञान
B. हिन्दी साहित्य गृह विज्ञान राजनीति विज्ञान
C. हिन्दी साहित्य गृह विज्ञान अंग्रेजी/संस्कृत
D. हिन्दी साहित्य राज. विज्ञान संस्कृत/अंग्रेजी

बी.ए. पार्ट द्वितीय एवं तृतीय—बी.ए. भाग प्रथम में चयन किए गए ऐच्छिक विषय ही भाग द्वितीय व तृतीय में बने रहेंगे। भाग द्वितीय व तृतीय में ऐच्छिक विषय परिवर्तित नहीं किए जा सकते।

उपलब्ध पाठ्यक्रम (स्नातकोत्तर स्तर)

महाविद्यालय में कला संकाय में स्नातकोत्तर स्तर पर निम्नलिखित विषयों में द्विवर्षीय पाठ्यक्रम संचालित है।

क्र.सं.	पाठ्यक्रम	आवंटित सेक्शन की संख्या	कुल स्थान
1.	एम.ए. गृह विज्ञान	01	30
2.	एम.ए. हिन्दी	01	60

विशेष ध्यानाकर्षण

1. नवीन शिक्षा सत्र 1 जुलाई से प्रारम्भ होगा।
2. प्रवेश आवेदन पत्र जमा कराने की अंतिम तिथि शैक्षणिक सत्र सारणी के अनुसार होगी।
3. प्रवेश पत्र में दिया गया आपका पता किसी कारणवश बदलता है तो इसकी लिखित सूचना महाविद्यालय कार्यालय में प्रस्तुत करें।
4. अध्ययन काल में यदि आप आर्थिक लाभ वाला कोई कार्य स्वीकार करते हैं तो उसकी सूचना कॉलेज कार्यालय में अनिवार्य रूप से दें।
5. अपना परिचय-पत्र सदैव अपने पास रखें।
6. अपनी अंकतालिका एवं अन्य प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रतियां सत्यापित करवाकर पर्याप्त संख्या में रख लें। शैक्षणिक शाखा में अंकतालिका एवं प्रमाण-पत्र जमा करवाने के पश्चात् पुनः निकलवाना संभव नहीं होगा।
7. महाविद्यालय से स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिये निर्धारित शुल्क की रसीद के साथ अपना प्रार्थना-पत्र शैक्षणिक प्रकोष्ठ में प्रस्तुत कर दें। प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने की तिथि के अगले दिन शैक्षणिक प्रकोष्ठ द्वारा स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र दे दिया जायेगा।
8. महाविद्यालय से चरित्र प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी शुल्क सहित अपना प्रार्थना पत्र शैक्षणिक प्रकोष्ठ में प्रस्तुत कर दें। इसके अगले दिन शैक्षणिक प्रकोष्ठ से चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें। चरित्र प्रमाण पत्र जारी करने के पश्चात सामान्यतः 6 माह की अवधि तक दूसरा प्रमाण-पत्र नहीं दिया जायेगा।
9. कॉशनमनी लौटाना-महाविद्यालय का प्रतिभूति धन (कॉशनमनी) प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को महाविद्यालय छोड़ने के बाद तीन वर्ष की अवधि के भीतर निर्धारित प्रपत्र में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा। तीन वर्ष की अवधि व्यतीत होने के पश्चात यह राशि देय नहीं होगी।
10. महाविद्यालय में विभिन्न गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिए सह/सहायक आचार्यों को प्रभारी मनोनीत किया गया है। विद्यार्थियों को परामर्श दिया जाता है कि वे उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करें।

अनुशासन—

1. प्राचार्य, स्टॉफ कक्ष तथा कार्यालय में बिना अनुमति प्रवेश नहीं करेंगे।
2. कालांश रिक्त होने की स्थिति में महाविद्यालय परिसर में इधर—उधर नहीं घूमें। खाली समय का सदुपयोग पुस्तकालय/वाचनालय आदि में करें।
3. महाविद्यालय की सम्पत्ति (जिसमें भवन एवं कक्ष, फर्नीचर, पुस्तकालय की पुस्तकें तथा अन्य वस्तुएं आदि सम्मिलित हैं) को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाएं तथा न ही उनको कुचित्र, अपशब्द आदि लिखकर गंदा करें।
4. महाविद्यालय में गणवेश (ड्रेस कोड) लागू है। छात्राओं को हल्के ग्रे चेक का घुटने तक लंबा, बंद गला (चॉयनीज कॉलर) तथा आधी/तीन चौथाई बाजू का कुर्ता एवं सफेद सलवार व सफेद दुपट्टा पहनकर महाविद्यालय में आना होगा। प्रत्येक बुधवार को गणवेश में आने की पाबंदी छात्राओं पर नहीं रहेगी।
5. महाविद्यालय में शालीनता से व्यवहार करें। दुर्व्यवहार या दुराचरण करने पर विश्वविद्यालय अध्यादेश सं. 88 के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में मानकर कक्षा से निलम्बित या महाविद्यालय से निलम्बित किया जा सकता है एवं विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठने से अयोग्य ठहराया जा सकता है।
6. छात्राएं अपने वाहन निर्धारित स्टेण्ड पर ही रखें।
7. किसी भी छात्रा के विरुद्ध न्यायालय में फौजदारी मामला होने पर उसे निलम्बित/निष्कासित किया जा सकता है।
8. रैगिंग एक दण्डनीय अपराध है, इस दुष्प्रवृत्ति में लिप्त विद्यार्थियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार दोषी विद्यार्थियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।
9. परीक्षाओं में अनुचित साधनों का प्रयोग एवं अनुशासनहीनता एक दण्डनीय अपराध है। इसके दोषी पाये जाने पर विद्यार्थियों के विरुद्ध महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित दण्ड के अतिरिक्त राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 1992 के अनुसार कठोर कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
10. छात्रासंघ चुनाव के दौरान भवन के बाहर व भीतर दीवारों, दरवाजों, खिड़कियों आदि पर लिखना, पोस्टर चिपकाना, चित्र बनाना, गंदा करना मना है। इस कृत्य के लिए छात्राओं से महाविद्यालय प्रशासन द्वारा परिसर की सफाई का खर्चा वसूल किया जायेगा। चुनाव प्रचार में विद्यार्थियों द्वारा महाविद्यालय को सामूहिक रूप से गंदा करने पर सामूहिक रूप से खर्चा वसूला जा सकेगा।

महाविद्यालय विकास एवं छात्रा—कल्याण गतिविधियां

1. विकास समिति— इस महाविद्यालय में आवश्यक विकास कार्य संपादित किये जाने हेतु महाविद्यालय विकास समिति पंजीकृत (पंजीयन संख्या 150/चूरू/2004—2005 दिनांक 31.3.05) है। यह समिति जन सहयोग एवं छात्राओं से आवश्यक संसाधन जुटाकर राज्य सरकार के नियमों के अनुसार विकास कार्य सम्पादित करती है।
2. प्रयोगशाला— इस महाविद्यालय में एक कम्प्यूटर— प्रयोगशाला है तथा गृह विज्ञान की दो सुसज्जित प्रयोगशालाएं हैं। छात्राओं को इनमें प्रायोगिक कार्य करने के लिए भरपूर सुविधाएं उपलब्ध हैं।
3. छात्रासंघ— निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राज. के निर्देशानुसार छात्रासंघ के संविधान के अनुरूप छात्रा संघ का गठन किया जाता है जिसके तत्वावधान में छात्रा कल्याण एवं विकास विषयक विविध गतिविधियों का संचालन किया जाता है।

विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना

राज्य सरकार ने विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना पत्रांक प 4 (7) वित्त/राजस्व/2002 दिनांक 11.12.02 द्वारा सभी शिक्षण संस्थाओं के लिए अनिवार्य रूप से लागू की हैं। इस योजना के अन्तर्गत शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों का एक वर्ष के लिए बीमा किया जाता है। जिसके अन्तर्गत एक निश्चित राशि का भुगतान विद्यार्थी की मृत्यु अथवा शारीरिक क्षति पर किया जाता है। राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग राज. जयपुर के पत्र क्रमांक प 4 (छात्र सुरक्षा)/अनु. व गैर अनु.शिक्षण/2010/2846-2908 दिनांक 12.7.10 के अनुसार महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु जारी पॉलिसी उच्च शिक्षा विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा कहलायेगी। योजना में उक्त शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों हेतु प्रति वर्ष प्रति विद्यार्थी रू. 200000 के बीमाधन हेतु प्रीमियम राशि रू. 20 (मय सेवा शुल्क) प्रति विद्यार्थी प्रतिवर्ष लिया जाना निर्धारित किया गया है।

किसी विद्यार्थी की दुर्घटना में मृत्यु/क्षति होने पर दावा प्रपत्र प्राप्त किया जायेगा जिसमें विमुक्ति पत्र पर संबंधित क्षेत्र के एम.एल.ए./प्रधान/मेयर/सरपंच/पार्षद/कार्यकारी अधिकारी (नगरपालिका)/चैयरमैन/राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित कर प्रस्तुत करना होगा।

पुस्तकालय एवं वाचनालय

महाविद्यालय पुस्तकालय में लगभग 13000 पुस्तकें तथा विविध विषयों की 10 पत्र-पत्रिकायें उपलब्ध हैं। पुस्तकों के निर्गमन के लिए मुक्त द्वार प्रणाली अपनाई गई है। पुस्तकों का आदान-प्रदान 'पाठक-पत्रक' (रीडर्स टिकट) द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक विद्यार्थी को दो पाठक पत्रक दिये जायेंगे। प्रत्येक पाठक पत्रक पर केवल एक पुस्तक दी जा सकेगी। पुस्तक की सुरक्षा का दायित्व छात्रा का होगा।

पुस्तकालय एवं वाचनालय सम्बन्धी नियम :-

1. पुस्तकालय केवल महाविद्यालय की नियमित छात्राओं के लिये है।
2. पुस्तकालय में प्रवेश के समय अपनी पुस्तकें, थैला या अन्य सामान निर्धारित स्थान पर ही रखें।
3. पुस्तकालय में प्रवेश परिचय-पत्र दिखाने पर ही होगा।
4. पुस्तकालय पंजिका में अपने हस्ताक्षर करना न भूलें।
5. पुस्तकालय 'पाठक पत्र' अहस्तान्तरणीय है इसके खोने अथवा दुरुपयोग होने का समस्त उत्तरदायित्व संबंधित छात्रा का होगा।
6. पाठक पत्रक खो जाने पर इसकी सूचना तुरन्त पुस्तकालयध्यक्ष को लिखित में दें।
7. पुस्तकालय एवं वाचनालय प्रातः10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक खुला रहेगा।
8. विद्यार्थी पुस्तक लेते समय पुस्तक को भली-भांति देख लें, यदि पृष्ठ फटे/क्षतिग्रस्त हो तो संबंधित अधिकारी को दिखाकर हस्ताक्षर करवा लें। ऐसा न करने पर जमा करवाते समय सारी जिम्मेदारी छात्रा की होगी।
9. सत्रांक पर पाठक-पत्रक लौटा दें बिना इसके लौटाये अदेय प्रमाण-पत्र नहीं मिल सकेगा।
10. पुस्तकालय की पुस्तकें परीक्षा पूर्व जमा करवानी होगी, जो विद्यार्थी पुस्तकें रखना चाहते हैं, तो उन्हें पुस्तकों के कीमत की दुगुनी धरोहर राशि जमा कराने पर यह सुविधा दी जा सकती है।
11. पुस्तकों को सुरक्षित, स्वच्छ रखना छात्रा का उत्तरदायित्व है। इन पर नाम लिखना, चिन्हित करना, गंदा करना अनुचित है। पकड़े जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।
12. सामान्यतः पुस्तकें दो सप्ताह तक दी जाती हैं। विशेष परिस्थितियों में पुस्तकें इस अवधि से पूर्व भी मंगवाई जा सकती हैं।
13. निर्धारित अवधि में पुस्तकें न लौटाई जाने पर 1 रूपया प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब शुल्क लिया जायेगा। एक सप्ताह से अधिक विलम्ब होने पर पुस्तकालय की सुविधा से वंचित किया जा सकता है।

14. आरक्षित पुस्तकों (सन्दर्भ ग्रन्थ, शब्द कोष, परीक्षा प्रश्न-पत्र, मानचित्र, पत्र-पत्रिकाएं) का उपयोग पुस्तकालय में ही किया जा सकेगा।
15. पुस्तकालय में अनाधिकृत रूप से पुस्तकों तथा पत्र-पत्रिकाओं को ले जाना, प्रयास करना एक गंभीर एवं दण्डनीय अपराध है।
16. पुस्तकालय में शांति बनाये रखे। प्रतिकूल आचरण अथवा गंभीर रूप से दोषी पाये जाने पर छात्रा को महाविद्यालय से निलंबित किया जा सकता है। पुस्तकालय में उसके प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है।
17. पुस्तक के खोने अथवा क्षतिग्रस्त हो जाने पर दुगुनी कीमत देनी होगी या उसकी नवीनतम संस्करण की प्रति जमा करवानी होगी।
18. विद्यार्थी अपने 'पाठक पत्रक' पर केवल अपने विषय से संबंधित अथवा सामान्य पाठकों के लिये लिखी गई पुस्तक ही ले सकेगा। इस विषय में पुस्तकालयध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा।
19. जिन छात्राओं को पूरक परीक्षा के कारण अस्थाई प्रवेश मिला हो, उन छात्राओं को पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण होने तक पुस्तकालय से पुस्तकें निर्गमित नहीं होंगी।

शिक्षणेत्तर एवं सह शैक्षणिक गतिविधियां

1. खेलकूद:

विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु अध्ययन के साथ-साथ खेलकूद का अत्यन्त महत्व है। खेलकूद में विशेष रुचि लेने वाली छात्राओं का चुनाव खेल समिति द्वारा किया जाता है। विद्यार्थी इच्छानुसार खेलों में भाग ले सकते हैं। महाविद्यालय में लगभग सभी प्रकार के खेल खेलने की व्यवस्था है। महाविद्यालय में इन्टर क्लास टूर्नामेंट आयोजित किये जाते हैं। नियमित खिलाड़ियों में से चुने हुए विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु भेजा जाता है। विशेष योग्यता प्रदर्शित करने वाली छात्राओं को वार्षिकोत्सव के अवसर पर प्रशंसा पत्र द्वारा सम्मानित किया जाता है। खेलों में भाग लेने के लिये विद्यार्थी खेलकूद विभाग में अपना नाम पंजीकृत करवाकर खेल प्रभारी से संपर्क स्थापित करें।

2. राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.) :

राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रमुख उद्देश्य है कि विद्यार्थी शिक्षा के साथ-साथ समाज सेवा के माध्यम से अपने व्यक्तित्व का विकास करें और राष्ट्रभक्त एवं योग्य नागरिक बनें। एन.एस.एस. के अन्तर्गत विद्यार्थी का नियमित गतिविधियों के अन्तर्गत दो वर्ष में 240 घंटे अपनी रुचि के क्षेत्र में कार्य करना होता है तथा तीन एक दिवसीय शिविर व एक विशेष शिविर में भाग लेना आवश्यक है। महाविद्यालय में इस समय रा.से.यो. की दो इकाइयां कार्यरत हैं। प्रत्येक इकाई में 100 छात्राएं पंजीकृत की जाती हैं।

एन.एस.एस. के अंतर्गत किये जाने वाले प्रमुख कार्य निम्नांकित हैं:-

1. श्रमदान
2. रक्तदान
3. वृक्षारोपण
4. प्राथमिक चिकित्सा
5. परिसर सौन्दर्यकरण
6. एड्स के संबंध में जागरूकता
7. सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागरूकता
8. कच्ची बस्तियों/गांवों को गोद लेना
9. प्रौढ़ शिक्षा प्रसार तथा साक्षरता
10. पर्यावरण चेतना
11. रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम

3. रेंजरिंग गतिविधि :

महाविद्यालय में रेंजरिंग गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। रेंजरिंग हेतु वर्तमान में 24 छात्राओं की एक यूनिट कार्यरत है।

4. महिला / छात्रा प्रकोष्ठ :

महिलाओं में चेतना जागृत करने तथा शिक्षा प्रसार हेतु महाविद्यालय में इस प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। इसके माध्यम से सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन हेतु प्रयास एवं विचार-विमर्श किया जाता है। बदलते परिवेश में नारी के सामाजिक दायित्व के निर्वहन के साथ-साथ अपनी अस्मिता की रक्षा का सुदृढ़ आधार बनाना इस प्रकोष्ठ का उद्देश्य है। छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए इस प्रकोष्ठ के द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है।

5. छात्रा परामर्श एवं नियोजन प्रकोष्ठ :

महाविद्यालय में रोजगार प्रकोष्ठ की स्थापना विद्यार्थियों को नियोजन परामर्श हेतु की गई है। यह प्रकोष्ठ राज्य, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार संबंधी जानकारी तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की अद्यतन जानकारी विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाता है।

युवा विकास केन्द्र

मानवाधिकार क्लब

नवाचार एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ

महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के सम्पूर्ण विकास तथा उन्हें शैक्षिक, सांस्कृतिक तथा कैरियर/रोजगार संबंधी आवश्यक जानकारी प्रदान करने, विद्यार्थियों को महाविद्यालय में प्रवेशोपरान्त उनकी रुचि के अनुसार महाविद्यालय में संचालित गतिविधियाँ आंशिक करने एवं अध्ययनकाल में गतिविधियों से उन्हें जोड़े रखने हेतु युवा कौशल परामर्श प्रकोष्ठ गठित किया गया है।

प्रकोष्ठ का गठन निम्नानुसार है :-

1. वरिष्ठतम सह/सहायक आचार्य : प्रकोष्ठ समन्वयक
 2. कार्यक्रम अधिकारी, एन.एस.एस. इकाई प्रथम व द्वितीय – सदस्य
 3. (अ) प्रभारी, युवा विकास केन्द्र (ब) प्रभारी, महिला प्रकोष्ठ (स) प्रभारी , मानवाधिकार क्लब – सदस्य
- प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त प्रकोष्ठ द्वारा भाग प्रथम के विद्यार्थियों की काउन्सलिंग की जाएगी जिसमें उनकी प्राथमिकताओं अभिरुचि के आधार पर कम से कम एक गतिविधि का सही चुनाव करने में उनकी मदद की जाएगी। उल्लेखनीय है कि महाविद्यालय में निम्नांकित गतिविधियाँ संचालित हैं और इनमें से कम से कम एक गतिविधि से सक्रिय रूप से जुड़े रहना विद्यार्थी के लिए आवश्यक है:-
1. एन.एस.एस. 2. रेंजर लीडर/टीम
 3. (अ) युवा विकास केन्द्र (ब) महिला प्रकोष्ठ (स) मानवाधिकार क्लब (द) भाषा क्लब


श्रेणीवार शुल्क तालिका (Fees Structure) सत्र 2021-22

बी.ए. पार्ट- प्रथम वर्ष

क्र.सं.	विवरण	बी.ए. पार्ट प्रथम वर्ष की छात्राओं हेतु		
		Gen.	OBC	SC/ST
राज कोष				
1	प्रवेश शुल्क	00	00	00
2	शिक्षण शुल्क	00	00	00
3	प्रयोगशाला शुल्क (गृह विज्ञान की छात्राओं से)	00	00	00
छात्रा कोष (छात्रनिधि मद)				
1	विकास शुल्क	50	25	25
2	क्रिडा शुल्क	50	25	25
3	आन्तरिक परीक्षा	30	15	15
4	पुस्तकालय एवं वाचनालय	50	25	25
5	पुस्तकालय कार्ड/रीडर्स टिकिट	10	05	05
6	छात्रा संघ (यूनियन फण्ड)	50	25	25
7	मनोरंजन शुल्क	30	15	15
8	पत्रिका शुल्क	30	15	15
9	परिचय-पत्र	20	10	10
10	पुस्तकालय ओपन सेल्फ	20	10	10
11	परिसर उद्यान एवं प्रयावरण सुधार शुल्क	50	25	25
12	सामान्य गतिविधि शुल्क	80	40	40
13	विविध शुल्क (डाकव्यय)	05	05	-
14	रेजिंग गतिविधि	10	10	10
15	कौशन मनी (प्रतिभूति)	20	20	20
अन्य शुल्क				
1	उच्च शिक्षा विद्यार्थी दुर्घटना बीमा	20	20	20
2	विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स शुल्क	30	30	30
3	विकास समिति शुल्क	250	250	250
4	कम्प्यूटर शुल्क	450	450	450
योग-		1255	1020	1015

नोट:- जिन छात्राओं के गृह विज्ञान विषय है उनको फीस के अतिरिक्त 30/- (तीस रुपये मात्र) प्रयोगशाला शुल्क (छात्र निधि) के रूप में देय होंगे।

प्रवेश प्रभारी



(श्री विष्णु कुमार शर्मा)

प्राचार्य

श्रीमती केशरी देवी लोहिया
राजकीय कन्या महाविद्यालय,
रतनगढ़ (चूरु)


श्रेणीवार शुल्क तालिका (Fees Structure) सत्र 2021-22

बी.ए. पार्ट- द्वितीय एवं तृतीय

क्र.सं.	विवरण	बी.ए. पार्ट द्वितीय एवं तृतीय की छात्राओं हेतु		
		Gen.	OBC	SC/ST
राज कोष				
1	प्रवेश शुल्क	00	00	00
2	शिक्षण शुल्क	00	00	00
छात्रा कोष (छात्रनिधि मद)				
1	विकास शुल्क	50	25	25
2	क्रिडा शुल्क	50	25	25
3	आन्तरिक परीक्षा	30	15	15
4	पुस्तकालय एवं वाचनालय	50	25	25
5	पुस्तकालय कार्ड/रीडर्स टिकिट	10	05	05
6	छात्रा संघ (यूनियन फण्ड)	50	25	25
7	मनोरंजन शुल्क	30	15	15
8	पत्रिका शुल्क	30	15	15
9	परिचय-पत्र	20	10	10
10	पुस्तकालय ओपन सेल्फ	20	10	10
11	परिसर उद्यान एवं पर्यावरण सुधार शुल्क	50	25	25
12	सामान्य गतिविधि शुल्क	80	40	40
13	विविध शुल्क (डाकव्यय)	05	05	-
14	रेजिंग गतिविधि	10	10	10
15	कौशन मनी (प्रतिभूति)	-	-	-
अन्य शुल्क				
1	उच्च शिक्षा विद्यार्थी दुर्घटना बीमा	20	20	20
2	विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स शुल्क	30	30	30
3	विकास समिति शुल्क	250	250	250
योग-		785	550	545

नोट:- जिन छात्राओं के गृह विज्ञान विषय है उनको फीस के अतिरिक्त 30/- (तीस रुपये मात्र) प्रयोगशाला शुल्क (छात्र निधि) के रूप में देय होंगे।

प्रवेश प्रभारी



(श्री विष्णु कुमार शर्मा)

प्राचार्य

श्रीमती केशरी देवी लोहिया
राजकीय कन्या महाविद्यालय,
रतनगढ़ (चूरु)

कार्यालय, प्राचार्य श्रीमती केशरी देवी लोहिया राजकीय कन्या महाविद्यालय, रतनगढ़ (चूरु)

श्रेणीवार शुल्क तालिका (Fees Structure) सत्र 2021-22

एम.ए. पूर्वार्द्ध गृह विज्ञान

क्र.सं.	विवरण	एम.ए. पूर्वार्द्ध की छात्राओं हेतु		
		Gen.	OBC	SC/ST
राज कोष				
1	प्रवेश शुल्क	00	00	00
2	प्रयोगशाला शुल्क (गृह विज्ञान की छात्राओं से)	00	00	00
छात्रा कोष (छात्रनिधि मद)				
1	विकास शुल्क	50	25	25
2	क्रिड़ा शुल्क	50	25	25
3	आन्तरिक परीक्षा	30	15	15
4	पुस्तकालय एवं वाचनालय	50	25	25
5	पुस्तकालय कार्ड/रीडर्स टिकिट	10	05	05
6	छात्रा संघ (यूनियन फण्ड)	50	25	25
7	मनोरंजन शुल्क	30	15	15
8	पत्रिका शुल्क	30	15	15
9	परिचय-पत्र	20	10	10
10	पुस्तकालय ओपन सेल्फ	20	10	10
11	परिसर उद्यान एवं प्रयावरण सुधार शुल्क	50	25	25
12	सामान्य गतिविधि शुल्क	80	40	40
13	विविध शुल्क (डाकव्यय)	05	05	00
14	कौशन मनी (प्रतिभूति)	30	30	30
15	उच्च शिक्षा विद्यार्थी दुर्घटना बीमा	20	20	20
16	विकास समिति शुल्क	250	250	250
17	विश्वविद्यालय स्पोर्ट शुल्क (स्पोर्ट्स शुल्क + गृह विज्ञान प्रयोगशाला शुल्क)	60	60	60
	योग-	835	600	595

प्रवेश प्रभारी

(श्री विष्णु कुमार शर्मा)

प्राचार्य

श्रीमती केशरी देवी लोहिया
राजकीय कन्या महाविद्यालय,
रतनगढ़ (चूरु)

कार्यालय, प्राचार्य श्रीमती केशरी देवी लोहिया राजकीय कन्या महाविद्यालय, रतनगढ़ (चूरु)

श्रेणीवार शुल्क तालिका (Fees Structure) सत्र 2021-22

एम.ए. पूर्वार्द्ध हिन्दी

क्र.सं.	विवरण	एम.ए. पूर्वार्द्ध की छात्राओं हेतु		
		Gen.	OBC	SC/ST
राज कोष				
1	प्रवेश शुल्क	00	00	00
2	प्रयोगशाला शुल्क	00	00	00
छात्रा कोष (छात्रनिधि मद)				
1	विकास शुल्क	50	25	25
2	क्रिड़ा शुल्क	50	25	25
3	आन्तरिक परीक्षा	30	15	15
4	पुस्तकालय एवं वाचनालय	50	25	25
5	पुस्तकालय कार्ड/रीडर्स टिकिट	10	05	05
6	छात्रा संघ (यूनियन फण्ड)	50	25	25
7	मनोरंजन शुल्क	30	15	15
8	पत्रिका शुल्क	30	15	15
9	परिचय-पत्र	20	10	10
10	पुस्तकालय ओपन सेल्फ	20	10	10
11	परिसर उद्यान एवं प्रयावरण सुधार शुल्क	50	25	25
12	सामान्य गतिविधि शुल्क	80	40	40
13	विविध शुल्क (डाकव्यय)	05	05	00
14	कौशन मनी (प्रतिभूति)	30	30	30
15	उच्च शिक्षा विद्यार्थी दुर्घटना बीमा	20	20	20
16	विकास समिति शुल्क	250	250	250
17	विश्वविद्यालय स्पोर्ट शुल्क	30	30	30
	योग-	805	570	565

प्रवेश प्रभारी



(श्री विष्णु कुमार शर्मा)

प्राचार्य

श्रीमती केशरी देवी लोहिया
राजकीय कन्या महाविद्यालय,
रतनगढ़ (चूरु)


कार्यालय, प्राचार्य श्रीमती केशरी देवी लोहिया राजकीय कन्या महाविद्यालय, रतनगढ़ (चूरु)

श्रेणीवार शुल्क तालिका (Fees Structure) सत्र 2021-22

एम.ए. उत्तरार्द्ध गृह विज्ञान

क्र.सं.	विवरण	एम.ए. उत्तरार्द्ध की छात्राओं हेतु		
		Gen.	OBC	SC/ST
राज कोष				
1	प्रवेश शुल्क	00	00	00
2	प्रयोगशाला शुल्क (गृह विज्ञान की छात्राओं से)	00	00	00
छात्रा कोष (छात्रनिधि मद)				
1	विकास शुल्क	50	25	25
2	क्रिडा शुल्क	50	25	25
3	आन्तरिक परीक्षा	30	15	15
4	पुस्तकालय एवं वाचनालय	50	25	25
5	पुस्तकालय कार्ड/रीडर्स टिकिट	10	05	05
6	छात्रा संघ (यूनियन फण्ड)	50	25	25
7	मनोरंजन शुल्क	30	15	15
8	पत्रिका शुल्क	30	15	15
9	परिचय-पत्र	20	10	10
10	पुस्तकालय ओपन सेल्फ	20	10	10
11	परिसर उद्यान एवं पर्यावरण सुधार शुल्क	50	25	25
12	सामान्य गतिविधि शुल्क	80	40	40
13	विविध शुल्क (डाकव्यय)	05	05	00
14	कौशन मनी (प्रतिभूति)	00	00	00
15	उच्च शिक्षा विद्यार्थी दुर्घटना बीमा	20	20	20
16	विकास समिति शुल्क	250	250	250
17	विश्वविद्यालय स्पोर्ट शुल्क (स्पोर्ट्स शुल्क + गृह विज्ञान प्रयोगशाला शुल्क)	60	60	60
	योग-	805	570	565

प्रवेश प्रभारी



(श्री विष्णु कुमार शर्मा)

प्राचार्य

श्रीमती केशरी देवी लोहिया
राजकीय कन्या महाविद्यालय,
रतनगढ़ (चूरु)

कार्यालय, प्राचार्य श्रीमती केशरी देवी लोहिया राजकीय कन्या महाविद्यालय, रतनगढ़ (चूरु)

श्रेणीवार शुल्क तालिका (Fees Structure) सत्र 2021-22

एम.ए. उत्तरार्द्ध हिन्दी

क्र.सं.	विवरण	एम.ए. उत्तरार्द्ध की छात्राओं हेतु		
		Gen.	OBC	SC/ST
राज कोष				
1	प्रवेश शुल्क	00	00	00
छात्रा कोष (छात्रनिधि मद)				
1	विकास शुल्क	50	25	25
2	क्रिड़ा शुल्क	50	25	25
3	आन्तरिक परीक्षा	30	15	15
4	पुस्तकालय एवं वाचनालय	50	25	25
5	पुस्तकालय कार्ड/रीडर्स टिकिट	10	05	05
6	छात्रा संघ (यूनियन फण्ड)	50	25	25
7	मनोरंजन शुल्क	30	15	15
8	पत्रिका शुल्क	30	15	15
9	परिचय-पत्र	20	10	10
10	पुस्तकालय ओपन सेल्फ	20	10	10
11	परिसर उद्यान एवं पर्यावरण सुधार शुल्क	50	25	25
12	सामान्य गतिविधि शुल्क	80	40	40
13	विविध शुल्क (डाकव्यय)	05	05	00
14	कौशन मनी (प्रतिभूति)	00	00	00
15	उच्च शिक्षा विद्यार्थी दुर्घटना बीमा	20	20	20
16	विकास समिति शुल्क	250	250	250
17	विश्वविद्यालय स्पोर्ट शुल्क	30	30	30
	योग-	775	540	535

प्रवेश प्रभारी

(श्री विष्णु कुमार शर्मा)

प्राचार्य

श्रीमती केशरी देवी लोहिया
राजकीय कन्या महाविद्यालय,
रतनगढ़ (चूरु)

तृतीय भाग

एन.एस.एस./रोवर रेंजर/वाई.डी.सी./महिला प्रकोष्ठ/ मानव अधिकार प्रकोष्ठ जैसी

गतिविधियों में विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु नियम एवं कलैण्डर

- प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों से प्रवेश आवेदन पत्र में स्पष्टतः यह अंकित कराना होगा कि सत्र के दौरान उपरोक्त गतिविधियों में से किन-किन गतिविधियों में भाग लेना चाहते हैं।
- प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होते ही महाविद्यालयों में उपरोक्त गतिविधियों को संचालित करने वाली समितियों/सह/सहायक आचार्यों/अन्य कोई एजेन्सी द्वारा परामर्श (Counselling) के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाकर वर्षभर संचालित होने वाली गतिविधियों में शामिल किया जावे।
- गतिविधिवार विद्यार्थियों की सूची निदेशालय में संबंधित समन्वयक को 5 अगस्त तक उपलब्ध करायी जावे।
- छात्रा एक से अधिक गतिविधि में भाग लेने के लिए स्वतंत्र होंगे।
- परामर्श के समय संबंधित महाविद्यालय यह सुनिश्चित करें कि इन गतिविधियों के दिशा-निर्देशों के अनुसार ही विद्यार्थी को विकल्प उपलब्ध करवाये जावे।
- प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को कोई न कोई गतिविधि आवंटित करना अनिवार्य होगा।
- द्वितीय/तृतीय वर्ष, स्नातक एवं स्नातकोत्तर वर्षों में अध्ययनरत विद्यार्थी यथासंभव उपरोक्त गतिविधियों में भाग लेंगे। जो विद्यार्थी पूर्व में ही इन गतिविधियों से जुड़े हुये हैं, उनकी निरन्तरता सुनिश्चित की जावेगी। इस संबंध में निदेशालय से समय-समय पर जारी होने वाले परिपत्रों को निदेशालय की वेबसाइट www.dce.rajasthan.gov.in पर जारी किया जावेगा, उनकी अनुपालना सुनिश्चित की जावेगी।

गतिविधि का नाम	कार्यक्रम सारणी
1. एन.एस.एस.	एन.एस.एस. मुख्यालय द्वारा जारी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार
2. रोवर-रेंजर	स्काउट एवं गाईड मुख्यालय द्वारा जारी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार
3. वाई.डी.सी./महिला प्रकोष्ठ/मानव अधिकार प्रकोष्ठ आदि गतिविधियां	निदेशालय द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार

शैक्षणिक सत्र सारणी 2021-22

ऑनलाईन प्रवेश कार्यक्रम-स्नातक पार्ट द्वितीय एवं तृतीय

(अ) स्नातक स्तर पर द्वितीय व तृतीय प्रवेश

क्र.सं.	विवरण	वार एवं तिथि
1	ऑनलाईन फीस जमा करवाने की प्रारम्भ तिथि (अस्थाई रूप से प्रमोट)	22 जुलाई 2021
2	ऑनलाईन फीस जमा करने की अंतिम तिथि (अस्थाई रूप से प्रमोट)	31 जुलाई 2021

(ब) स्नातकोत्तर स्तर- एम.ए. उत्तरार्द्ध प्रवेश

क्र.सं.	विवरण	वार एवं तिथि
1	ऑनलाईन फीस जमा करवाने की प्रारम्भ तिथि (अस्थाई रूप से प्रमोट)	22 जुलाई 2021
2	ऑनलाईन फीस जमा करने की अंतिम तिथि (अस्थाई रूप से प्रमोट)	31 जुलाई 2021

प्रशासनिक, शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कर्मचारियों की सूची

क्र.सं.	नाम	पद	विषय	मोबाइल नम्बर
1	श्री विष्णु कुमार शर्मा	का0वा0 प्राचार्य व असिस्टेन्ट प्रोफेसर	संस्कृत	9783753001
2	श्रीमती सुनिता कुमारी	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	हिंदी	9414853636
3	श्री खिलेश कुमार	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	अंग्रेजी	9636028794
4	श्रीमती रजनी शर्मा	AAO- I		9929188932
5	श्री बिडदी चन्द दुलड	अ.प्र.अ.		9636768953
6	डॉ. राकेश महरिया	प्र.स.		9461106111
7	श्री गौरव शर्मा	क.स.		7014957621
8	श्रीमती शारदा सिहाग	क.स.		9950468077
9	श्री प्रदीप कुमार	स.कर्मचारी		9672478198
10	श्री बजरंगलाल मीणा	स.कर्मचारी		9587590815

विशेष ध्यानाकर्षण

महाविद्यालय में प्रवेश राज्य सरकार/निदेशक, कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी प्रवेश नीति- 2021-22 तथा निर्देशों के अधीन ही किये जा सकेंगे। राज्य सरकार, विश्वविद्यालय व निदेशक, कॉलेज शिक्षा से समय-समय पर प्राप्त निर्देश तथा नियमों में परिवर्तन/संशोधन तुरन्त प्रभाव से मान्य होंगे।


इस विवरणिका में संकलित सामग्री में किसी प्रकार के संशोधन, परिवर्तन तथा विलोपन का अधिकार प्राचार्य, श्रीमती केशरी देवी लोहिया राजकीय कन्या महाविद्यालय, रतनगढ़ के विवेकाधीन है।

यद्यपि इस विवरणिका में संकलित सरकारी आदेशों/नियमों को प्रकाशित करने में पूर्ण सावधानी बरती गई है फिर भी कोई त्रुटि होने पर मूल आदेशों/नियमों/सूचनाओं को ही सही माना जायेगा।

विवरणिका में प्रकाशित नियमों में संशोधन/परिवर्तन विश्वविद्यालय एवं राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः या आंशिक रूप से किये जा सकते हैं जो अंतिम रूप से मान्य एवं प्रभावी होंगे। विद्यार्थी नियमित रूप से सूचना पट्ट देखते रहें एवं निर्देशों का पूर्णतः पालन करें।

विद्यार्थियों से संबंधित सभी प्रकार की सूचनाएं महाविद्यालय के सूचना पट्ट पर लगा दी जाती हैं। नवीन सूचनाओं की जानकारी हेतु विद्यार्थी सूचना-पट्ट का अवलोकन प्रतिदिन अवश्य करें।

प्रवेश प्रभारी



(श्री विष्णु कुमार शर्मा)

प्राचार्य

श्रीमती केशरी देवी लोहिया
राजकीय कन्या महाविद्यालय,
रतनगढ़ (चूरु)